



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Email – sanchi13a@gmail.com

!! इन्दौर दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र में (इन्दौर शहर छोड़कर) साँची दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई-निविदा सूचना !!

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर द्वारा इन्दौर दुग्ध संघ के ग्रामीण कार्यक्षेत्रों में (इन्दौर शहर छोड़कर) इन्दौर मुख्य संयंत्र डेयरी डाक से सिमरोल, बड़वाह, सनावद, मोरटक्का, ओंकारेश्वर, गोगावा, मुलठान, बेडिया विपणन क्षेत्र एवं दुग्ध संयंत्र खरगोन में साँची दुग्ध उत्पाद वितरण कार्य हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई-निविदा के माध्यम से **Online** परिवहन दरें आमंत्रित की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आवेदन **MPCDF** की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर देखा जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रु. **1,000/-** का भुगतान कर वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर **Online** आवेदन दिनांक **04-11-2024** तक जमा किया जाना है। निविदा प्रपत्र में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा, अतः निविदाकर्ता निरंतर उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें। किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र में (इन्दौर शहर छोड़कर) सिमरोल, बड़वाह, सनावद, मोरटक्का, ओंकारेश्वर, गोगावा, मुलठान, बेडिया विपणन क्षेत्र एवं दुग्ध संयंत्र खरगोन में साँची दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई-निविदा प्रपत्र वर्ष 2024-2027



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Email - sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर

२२ साँची दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु
ई-निविदा प्रपत्र ४०

(1)	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की दिनांक अंतिम तिथि एवं समय।	—	04.11.2024 दोपहर 12:00 बजे तक।
(2)	ई-निविदा (ऑनलाईन) जमा करने तक की अंतिम दिनांक व समय	—	04.11.2024 दोपहर 12:00 बजे तक।
(3)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय।	—	05.11.2024 दोपहर 1:00 बजे तक।
(4)	निविदा के साथ जमा की जाने वाली ई.एम.डी. राशि।	—	रु. 1,00,000 /— (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र)
(5)	निविदा खोलने का स्थान	—	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चांदा तलावली, ए.बी.रोड़, इन्दौर
(6)	वितरक सह परिवहनकर्ता की सामान्य तकनीकी शर्तें	—	प्रपत्र 01
(7)	वितरक सह परिवहनकर्ता की सामान्य शर्तें	—	प्रपत्र 02
(8)	निविदाकर्ता की जानकारी	—	प्रपत्र 03
(9)	शपथ पत्र का प्रारूप	—	प्रपत्र 04
(10)	विपणन मार्ग की जानकारी	—	प्रपत्र 05
(11)	ऑनलाईन वित्तीय बिड	—	प्रपत्र 06
(12)	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप	—	प्रपत्र 07
(13)	अनुबंध का प्रारूप	—	प्रपत्र 08

-X-

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :- साँची दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र में (इन्दौर शहर छोड़कर) वितरक सह-परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु दिनांक को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण	(विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें)
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता एवं पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।	
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
5.	पान नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
6.	परिवहन कार्य हेतु स्वयं की 01 रेफ्रिजरेटेड वाहन दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु 2 ⁰ C से 4 ⁰ C (क्षमता 200 क्रेट आवश्यकतानुसार) जिसके दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के स्टाम्प पत्र पर नोटिफाईड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अतिरिक्त आवश्यकता हेतु भी स्वयं का ही वाहन होना चाहिए। वाहन वर्ष 2020 मॉडल के या बाद के हो।	
7.	निविदाकर्ता के पास दुग्ध व्यवसाय एवं परिवहन हेतु अपने स्वयं के वाहनों की स्थिति में वाहन मालिक के दुग्ध व्यवसाय एवं दुग्ध परिवहन हेतु खाद्य एवं सुरक्षा के लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है। जिसकी प्रति संलग्न करें।	
8.	इन्कम टैक्स रिटर्न वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तीन वर्षों की ITR की पावती प्रस्तुत करना होगी।	
9.	वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तीनों वर्षों का कुल रु. 6.00 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर हेतु वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 का सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र जिसमें UDIN नं. एवं व्यवसाय का प्रकार वर्णित हो प्रस्तुत करना होगा। FMCG व्यवसायी ही पात्र होंगे।	
10.	आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से कराना अनिवार्य है।	
11.	निविदाकर्ता का जी.एस.टी. नम्बर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	
12.	एमपीसीडीएफ के भंडार-क्रय नियम की उपकण्डिका क्रं. 8.04 के अनुसार "यदि किसी भी निविदाकर्ता को निविदा में भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो वह निविदा हेतु अपात्र रहेगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।" तदाशय का शपथ पत्र रु. 1,000/- के नोटिफाईड स्टॉम्प पर तकनीकी विवरण के साथ संलग्न करें। संलग्न प्रपत्र क्र. 04 अवलोकन हेतु।	
13.	इस निविदा में यदि कार्यरत वितरक द्वारा भाग लिया जाता है तो दुग्ध संघ से/दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट/घी सुपरस्टॉकिस्ट से एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगी।	
14.	ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन जमा करना होगी।	

नोट - उपरोक्त दर्शित बिन्दुओं से संबंधित जानकारी/प्रमाणक ऑन लाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर — — — — —

नाम — — — — —

पता — — — — —

दूरभाष/मोबाईल नम्बर — — — — —

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

साँची दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता निविदा हेतु आवश्यक शर्तें

- 1) आवेदनकर्ता को चाहे गए समस्त दस्तावेज ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) आवेदक को ऑनलाईन राशि रु. रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- 3) सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रुपये 1.00 लाख नकद आर.टी. जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा। दुग्ध उत्पाद विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रु. 2.00 लाख होगी।
- 4) असफल निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि एम.पी. ई-टेंडर्स के नियमानुसार वापस की जावेगी।
- 5) परिवहन कार्य हेतु स्वयं की 01 रेफ्रिजरेटेड वाहन दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु 20°C से 40°C (क्षमता 200 क्रेट आवश्यकतानुसार) जिसके दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के स्टाम्प पत्र पर नोटिफाईड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार स्वयं का ही वाहन लगाना अनिवार्य होगा। वाहन मॉडल वर्ष 2020 अथवा उसके बाद का पंजीकृत होना चाहिए वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से करवाकर कार्यालय में जमा करना होगी।
- 6) सफल निविदाकार को रेफ्रिजरेटेड वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कार्य आवंटन उपरान्त 15 दिवस में स्वयं के वाहन की व्यवस्था करना होगी। ऐसा न होने की दशा में निविदाकार का कार्यदेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा। दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से कराना होगी।
- 7) वितरक सह परिवहनकर्ता के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेंगे :-
 - A) वितरक सह परिवहनकर्ता को सम्पूर्ण दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र (इन्दौर शहर छोड़कर) में सभी वितरकों/रिटेलर/पार्लर/एजेन्सी/ की माँग पूर्ति हेतु स्वयं का वाहन भेजना आवश्यक होगा।
 - B) वितरक सह परिवहनकर्ता को भरी एवं खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रतिदिन जितनी भरी क्रेटें प्रदाय होती है उतनी ही संख्या में खाली क्रेटें निर्धारित समय पर जमा करना होगी। अन्यथा बकाया खाली क्रेटों की राशि का वर्तमान क्रेट क्रय भाव के आधार पर देयकों से कटोत्रा किया जावेगा।
 - C) वितरक सह परिवहनकर्ता को साँची दुग्ध उत्पाद बटर, कुकीज की वेरिएंट अनुसार माँग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर ई-मेल द्वारा प्रतिदिन मुख्य दुग्ध संयंत्र को देना होगी। माँग अनुसार अग्रिम राशि भी दुग्ध संघ के खाते में एडवांस जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा दुग्ध उत्पाद प्रदाय नहीं किया जाएगा।
 - D) वितरक सह परिवहनकर्ता के पर्यवेक्षक/वाहन चालक, वाहनों में हो रहे दुग्ध उत्पाद बटर, कुकीज लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि दुग्ध उत्पाद हर तरह से अर्थात् गुणवत्ता, शीतलीकृत तापमान, लीकेज, वजन, क्रेट में निर्धारित संख्या पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि वितरक सह परिवहनकर्ता अपने पर्यवेक्षक के नाम मय फोटो I.D. प्रूफ के संघ में जमा करावेगा ताकि उनकी अनुपस्थिति का रिकार्ड संघ में रखा जा सके। पर्यवेक्षकों की अनुपस्थिति के विरुद्ध प्रबन्ध द्वारा निर्धारित पैनल्टी लगाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

- E) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध उत्पाद बटर, कुकीज विक्रय की माँग अनुसार राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अग्रिम दुग्ध संघ खाते में जमा करने के पश्चात् ही साँची दुग्ध उत्पाद प्रदाय किया जावेगा। राशि जमा नहीं होने पर दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना संभव नहीं होगा। यदि दुग्ध उत्पाद प्रदाय बाधित होता है तो वितरक सह परिवहनकर्ता की सेवा समाप्त की जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
- F) वितरक सह परिवहनकर्ता को **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम अकाउण्ट-पेयी रेखांकित पाँच चैक हस्ताक्षरयुक्त अग्रिम दुग्ध संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।
- G) सफल निविदाकार को दुग्ध संघ सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में साँची दुग्ध उत्पाद बटर, कुकीज विक्रय हेतु नवीन वितरक/रिटेलर नियुक्ति करने के लिए महाप्रबंधक (विपणन) को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- H) वितरक सह परिवहनकर्ता को साँची के समस्त उत्पाद एवं टेबल बटर वितरण हेतु समय-समय पर निर्धारित दर संरचना के अनुसार वितरक दर पर समस्त उत्पाद प्रदाय किया जावेगा।
- I) वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में प्रचलित वितरक/विक्रेताओं का मार्जिन देना होगा, जो समय-समय पर परिवर्तनशील होने पर वितरक सह-परिवहनकर्ता को मान्य करना होगा।
- J) इस ई-निविदा में चयनित वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा साँची दुग्ध उत्पाद वर्तमान में प्रचलित वितरक दर पर प्रदाय किया जावेगा। जिसमें वितरक एवं रिटेलर मार्जिन सम्मिलित है। निविदाकार द्वारा केवल मुख्य दुग्ध संयंत्र इन्दौर से दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र (इन्दौर शहर छोड़कर) विपणन क्षेत्र के लिये परिवहन दर (जी.एस.टी. अतिरिक्त) ऑनलाईन प्रतिलीटर में प्रस्तुत करना होगी। सफल वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन देयक (जी.एस.टी. अतिरिक्त) प्रतिमाह भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा। दुग्ध संघ से प्राप्त जी.एस.टी. राशि को नियमानुसार यदि प्रभावशील है, तो निर्धारित समयावधि में शासन को भुगतान करना होगा। जिससे दुग्ध संघ जी.एस.टी. राशि की छूट प्राप्त कर सकें। प्रति 03 माह में चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगी। यदि जी.एस.टी./अन्य कर शासन द्वारा अधिरोपित किया जाता है, तो वितरक सह परिवहनकर्ता से ब्याज एवं पेनल्टी सहित राशि वसूल की जावेगी।
- k) वितरक सह परिवहनकर्ता को अपने संपूर्ण रूट के ऐसे क्षेत्र जहां वर्तमान में साँची दुग्ध उत्पाद प्रदाय नहीं हो रहा है। वहां पर भी साँची दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना होगा।
- 8) यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता की दरों में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जायेगी। दर वृद्धि/कमी का आधार संघ की प्रचलित स्थापित प्रणाली से होगा।
- 9) ई-निविदा में प्राप्त परिवहन दर समान आने पर लॉटरी पद्धति से निविदाकार का चयन किया जावेगा।
- 10) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो वितरक सह परिवहनकर्ता का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। अन्यथा सम्पूर्ण हानि की वसूली उससे की जाएगी।
- 11) वितरक सह परिवहनकर्ता दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र में (इन्दौर शहर छोड़कर) अपने सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्ही विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दुग्ध उत्पाद व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध उत्पाद प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि में शामिल नहीं होगा। प्रदायगी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार करना अनिवार्य होगी।
- 12) वितरक सह परिवहनकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची दुग्ध उत्पाद, बटर, के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन (2020 या उसके बाद के मॉडल) तापरोधी एवं रेफ्रीजरेटेड होकर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी करना होगी।

- 13) वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध उत्पाद प्राप्त करते समय उसकी जाँच-परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी वितरक सह-परिवहनकर्ता की रहेगी।
- 14) वितरक सह परिवहनकर्ता को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रुपये 1,000/-** के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को केवल साँची दुग्ध उत्पाद वितरण/विक्रय हेतु आवंटित क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 03 वर्ष की अवधि हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक-एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
- 15) वितरक सह परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस वितरक सह परिवहनकर्ता (दुग्ध उत्पाद कुकीज, बटर) का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।
- 16) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा प्रतिदिन मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद मात्रा की राशि RTGS के माध्यम से नकद दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। बैंक अवकाश के दिनों में राशि ऑनलाईन दुग्ध संघ खाते में अग्रिम जमा करना होगी। राशि जमा नहीं करने पर दुग्ध उत्पाद प्रदाय नहीं किया जायेगा।
- 17) वितरक सह परिवहनकर्ता की नियुक्ति पश्चात् समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता को करना होगी।
- 18) निविदा प्रपत्र के साथ आपके विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।
- 19) वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रत्येक पार्लर पर जाकर दुग्ध उत्पाद बटर, प्रदाय करना होगा।
- 20) वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रतिदिन एक दिवस पूर्व दोपहर 2:00 बजे तक ई-मेल के माध्यम से साँची दुग्ध उत्पाद की मांग प्रस्तुत करना होगी।
- 21) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
- 22) ई-निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
- 23) प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। मुख्य दुग्ध संयंत्र इन्दौर डाक से दुग्ध उत्पादों की चोरी के किसी भी तरह के प्रकरण में पकड़े गए पदार्थों की मूल्य राशि का 50 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
- 24) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र (इन्दौर शहर छोड़कर) के लिये दुग्ध उत्पाद विक्रय के लक्ष्य वार्षिक योजना एवं त्यौहारों के आधार पर दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना द्वितीयपक्ष को अनिवार्य होगा। समय-समय पर उतरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों कि प्राप्ति आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही प्रथमपक्ष द्वारा की जाएगी, जिस हेतु द्वितीयपक्ष जवाबदेह होगा। प्रतिवर्ष दुग्ध उत्पाद विक्रय में 10 प्रतिशत की वृद्धि करना अनिवार्य होगा।
- 25) निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।
- 26) यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ, तो उसे मध्यस्थता (**Arbitrator**) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (**Arbitrator**) प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

- 27) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य में अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जाएगा।
- 28) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।
- 29) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर दुग्ध संघ द्वारा आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जाएगी तथा स्थिति की गंभीरता के देखते हुए कार्य आवंटन निरस्त करते हुए सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि जब्त कर निविदाकार को ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
- 30) रेफ्रीजरेटेड वाहनों में न्यूनतम 4 इंच पफ का इंसुलेशन होना अनिवार्य है। विशेषज्ञ समिति इसकी जाँच करेगी एवं संतोषजनक पाये जाने पर ही वाहन सेवा में मान्य किए जाएंगे। ऐसा न हो पर निविदा निरस्त कर प्रतिभूति जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
- 31) रेफ्रीजरेटेड वाहन का ए.सी. बंद पाये जाने पर परिवहन देयक की 10 प्रतिशत राशि का कटौती हर बार किया जाएगा।
- 32) अनुबंधित वाहन पर **G.P.S.** लगाया जाना अनिवार्य होगा, जिसका ट्रेकिंग नियंत्रण दुग्ध संघ को सौंपना होगा।
- 33) वाहनों की फिटनेस **R.T.O.** से सत्यापित कराके दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।
- 34) निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस.टी. अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।
- 35) साँची के समस्त उत्पाद एवं टेबल बटर लोडिंग के पूर्व निर्धारित तापमान आने पर ही डेयरी संयंत्र से उत्पाद लोड किये जाएंगे।

मेरे द्वारा साँची दुग्ध उत्पाद बटर, कुकीज वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 36 तक वर्णित शर्तों एवं निर्देशों का पालन नहीं करता/करती हूँ एवं मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबन्ध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

नाम —

हस्ताक्षर

❖ साँची दुग्ध उत्पाद बटर, कुकीज वितरक सह-परिवहनकर्ता हेतु ❖
❖ ई-निविदा प्रपत्र/आवेदन ❖

पासपोर्ट साईज
फोटो चस्पा
करें।

- 1 आवेदक का नाम :
- 2 पिता/पति का नाम :
- 3 स्थाई पता (प्रमाण सहित) :
- 4 व्यवसाय का पता :
- (अ) दूरभाष नम्बर :
- (ब) मोबाईल नम्बर :
- 5 शैक्षणिक योग्यता :
- 6 आवेदन का वर्ग :
- (अ.जा./अ.ज.जा./पि.वर्ग/सामान्य) :
- 7 आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशीप है, तो पार्टनरशीप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। :
- 8 वर्तमान व्यवसाय :
- 9 वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करें।) :
- 10 वित्तीय स्थिति (बैंक खाता क्रमांक) :
- (अ) चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा। :
- (ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि। :
- 11 वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक पूँजी की व्यवस्था :

नोट : परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।

दिनांक -

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम

(रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

प्रपत्र 04

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं पिता/पति श्री स्थायी पता
..... निम्नलिखित कथन शपथ लेकर
कहता / कहती हूँ कि :-

1. " यह कि मुझे/हमे किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो मैं/हम इस निविदा हेतु अपात्र रहेंगे। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जा सकेगी।"
2. यह कि मेरा/हमारा वर्तमान में किसी भी पुलिस थाने में अद्यतन स्थिति तक कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है एवं न ही किसी भी न्यायालय में मेरे/हमारे विरुद्ध कोई वाद/आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है/चल रहा है।
3. सुपरस्टॉकिस्ट सह परिवहनकर्ता एवं उससे संबद्ध वितरक का इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ एवं एमपीसीडीएफ के अधीनस्थ दुग्ध संघों में किसी प्रकार का किसी भी विषय पर कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं होने का राशि रुपये 100/- स्टॉम्प पत्र पर शपथ पत्र प्रस्तुत है।

यह कि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मुझे/हमें आवंटित निविदा निरस्त कर मुझे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। इस हेतु मैं/हम अपनी सहमति देते हैं।

गवाह—

1) नाम—

पता—.....

आधार कार्ड नं.....

मो.नं.

2) नाम—

पता—

आधार कार्ड नं.....

मो.नं.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम—

पता—

.....

मो.नं. —

विपणन मार्ग की जानकारी

विपणन मार्ग का नाम
इन्दौर मुख्य संयंत्र डाक से (इन्दौर शहर छोड़कर) सिमरोल, बड़वाह, सनावद, मोरटक्का, ओंकारेश्वर, गोगावा, मुलठान, बेडिया विपणन क्षेत्र एवं दुग्ध संयंत्र खरगोन।
अनुमानित दुग्ध उत्पाद विक्रय मात्रा प्रतिदिन 500 लीटर

नोट :- दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार नवीन विपणन मार्ग पर भी अनुबंधकर्ता को वाहन संचालन करना होगा।

साँची दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता हेतु फाइनेंशियल बिड

विपणन मार्ग का नाम	अनुमानित साँची उत्पाद वितरण हेतु रेफ्रिजरेटेड 2° C से 4° C वाहन की क्रेट क्षमता	निविदाकर्ता द्वारा रेफ्रिजरेटेड वाहन की साँची उत्पाद परिवहन दर प्रतिलीटर/प्रतिकिलो (जिसमें मार्जिन सम्मिलित नहीं है।) (जी.एस.टी. अतिरिक्त) को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करना है।
इन्दौर मुख्य संयंत्र डाक से (इन्दौर शहर छोड़कर) सिमरोल, बड़वाह, सनावद, मोरटक्का, ओंकारेश्वर, गोगावा, मुलठान, बेडिया अपकन्ट्री क्षेत्र एवं दुग्ध संयंत्र खरगोन में ई-निविदा की शर्तानुसार।	200 क्रेट समान क्षमता की 01 रेफ्रिजरेटेड वाहन आवश्यकतानुसार (अनुमानित दूरी 330 किलोमीटर)	

नोट :- वितरक दर/मार्जिन की सूची संलग्न है। भविष्य में साँची उत्पादों की दरों एवं मार्जिन में प्रबंधन के निर्णयानुसार कमी/वृद्धि होने पर प्रभावी होंगी, जिन्हें परिवर्तन होने पर सूचित किया जाएगा।

AS ON : 11-01-2024

WITH GST

PARTICULARS	DISTRIBUTOR	RETAILER	M.R.P.
SANCHI GHEE	100 ML (90PKT)	59.38	66.00
	200 ML (60PKT)	114.10	128.00
	500 ML (32PKT)	281.33	310.00
	1 LTR (16PKT)	554.04	610.00
	05 LTR JAR	2817.74	3025.00
	15 KG JAR	8958.75	9450.00
	COW 1 LTR (16PKT)	604.05	660.00
	COW 5 LTR JAR	3042.75	3250.00
	COW 5 KG TIN	3418.25	3650.00
	COW 15 KG TIN	9158.75	9650.00
SANCHI S.M.P.	250 GM	95.00	105.00
	1 KG	370.00	410.00
TABLE BUTTER	100 GM	48.00	55.00
	500 GM	245.00	275.00
	10 GM CHIPLETS (240 GM PKT)	105.60	120.00
	10 GM CHIPLETS (400 GM PKT)	176.00	200.00
	20 GM CHIPLETS (240 GM PKT)	105.60	120.00
	20 GM CHIPLETS (400 GM PKT)	176.00	200.00
SHREEKHAND	100 GM CUP	24.50	30.00
	5 KG PKT	1030.00	1250.00
LASSI LITE	200 ML POUCH	16.50	20.00
LASSI	200 ML GLASS	24.50	30.00
BUTTER MILK	200 ML PKT (Salted)	7.00	10.00
	500 ML PKT (PLAIN)	13.75	16.00
	5 LTR PKT (PLAIN)	107.00	120.00
	200 ML BOTTLE	25.01	30.00
FLAVORED MILK	200 ML PKT	16.33	20.00
	180 ML BOTTLE	20.01	25.00
	200 ML PP BOTTLE	24.50	30.00
CHAKKA	1 KG	175.00	200.00
PLAIN CURD	400 GM PKT	28.00	32.00
	1 KG PKT	67.00	75.00
CURD	200 GM PKT	22.25	26.00
CURD	5 KG	310.00	350.00
BIO MAGIC CURD	100 GM	9.50	12.00
	1 KG	353.00	380.00
PANEER	250 GM	92.00	100.00
	100 GM	41.50	45.00
	100 GM	25.00	32.00
CHHENA RABDI	100 GM	263.00	300.00
	1 KG	1230.00	1450.00
	5 KG	334.00	380.00
PEDA	1 KG	174.00	200.00
	500 GM	90.00	105.00
	250 GM	14.25	17.00
	02 NO. (35 GM)	88.35	105.00
RASGULLA	500 GM (TIN)	179.00	210.00
	1 Kg	108.50	120.00
GULABJAMUN	500 GM (TIN)	209.00	230.00
	1 Kg	1725.00	1850.00
MAWA	5 KG	378.00	400.00
	1 KG	183.00	200.00
	500 GM	91.00	100.00
	250 GM		

		1650.00	1675.00	1775.00
GULABJAMUN MAWA	5 KG PKT	18.00	18.85	20.00
THANDAI	200 ML POUCH	19.50	21.00	25.00
	180 ML BOTTLE	967.25	1014.50	1100.00
LOW FAT PANEER	5 KG	202.15	210.55	225.00
	1 KG	103.60	107.80	115.00
	500 GM	8.50	9.00	10.00
SANCHI PREMIX COFFEE LITE	20 GM (PKT)	340.00	360.00	400.00
	1 KG (POUCH)	66.00	70.00	80.00
GULABJAMUN MIX	200 GM (PKT)	310.00	325.00	350.00
SANCHI COMBO PACK (MISHRIT MITHAI)	1 (KG)	28.95	29.20	30.00
	98 GRAM	8.45	8.85	10.00
SANCHI PREMIX CHAI	20 GM (POUCH)	361.80	371.80	400.00
	1 KG (PKT)	40.00	41.00	51.00
PRASADI PEDA	120 GRAM PKT	79.00	81.00	101.00
COMBO PACK -2	240 GRAM PKT	306.00	328.00	370.00
	1 KG GULABJAMUN+			
	1 KG RASGULLA	100.00	105.00	115.00
PEDA SPECIAL	250 GM.PKT	194.00	202.00	220.00
	500 GM PKT	374.00	388.00	420.00
	1 KG PKT	528.00	548.00	590.00
	1.5 KG PKT	24.00	26.00	30.00
GOAT MILK	200 ML FLAVOURED BOTTLE	17.50	18.00	20.00
	BUTTER COOKIES 75 GM PKT	47.35	49.00	55.00
	BUTTER COOKIES 150 GM PKT	94.70	98.00	110.00
	BUTTER COOKIES 300 GM PKT	17.50	18.00	20.00
	JEERA COOKIES 75 GM PKT	47.35	49.00	55.00
	JEERA COOKIES 150 GM PKT	94.70	98.00	110.00
	JEERA COOKIES 300 GM PKT	17.50	18.00	20.00
	CHOCOLATE COOKIES 75 GM PKT	52.35	54.00	60.00
	CHOCOLATE COOKIES 150 GM PK	104.70	108.00	120.00
	CHOCOLATE COOKIES 300 GM PK	17.50	18.00	20.00
	COCONUT COOKIES 75 GM PKT	52.35	54.00	60.00
	COCONUT COOKIES 150 GM PKT	104.70	108.00	120.00
	COCONUT COOKIES 300 GM PKT			
SANCHI KACHI KERRY CURD	KACHI KERRY CURD 100 GM CUP	12.50	13.50	15.00
SANCHI BRAJ PEDA	500 GM PKT	194.00	202.00	220.00
	02 NO.(65 GRAM)	17.25	18.00	20.00
	250 GM PKT	91.25	95.00	105.00
	500 GM PKT	172.50	180.00	200.00
	1 KG	325.00	340.00	380.00
SANCHI MILK CAKE	250 GM PKT	105.00	110.00	120.00
	500 GM PKT	193.00	202.00	220.00
SANCHI HEALTH VITA PLUS	200 GM PKT	83.96	86.15	90.00
	750 GM PKT	277.34	285.57	300.00
	1 KG PKT	352.35	360.58	375.00
COLD COFFEE PP BOTTLE	200 ML	29.75	31.50	35.00
UGAR FREE FLAVOURED MILK PP BOTT	200 ML	25.50	27.00	30.00
COOKING BUTTER	500 GM (2 KG CASE)	782.78	802.09	860.00
	500 GM (5 KG CASE)	1956.96	2005.22	2150.00
	500 GM (10 KG CASE)	3913.91	4010.43	4300.00
	500 GM PKT	195.69	200.52	215.00

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है, कि कु./श्री/श्रीमति/मेसर्स
वर्तमान में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के साथ
के रूप में कार्यरत है। आज दिनांक को इनका खाता
 नियमित है एवं दिनांक की स्थिति में बकाया राशि
/— है, जिसके विरुद्ध प्रतिभूति राशि पेटे नगद राशि रुपये
/— एवं बैंक ग्यारन्टी या एफ.डी. राशि रुपये/—
 जमा है।

अतः मेसर्स द्वारा सम्पूर्ण
 इन्दौर शहर में साँची दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह
 परिवहनकर्ता हेतु जारी की गयी ई-निविदा में भाग लिया जाता है, तो
 इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ को कोई आपत्ति नहीं है।

जारी दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इंदौर

अनुबंध ४

यह अनुबंध आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, इन्दौर, जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती/कु./मेसर्स, पता— जिन्हें इन्दौर दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र में (इन्दौर शहर छोड़कर) सिमरोल, बड़वाह, सनावद, मोरटक्का, ओंकारेश्वर, गोगावा, मुलठान, बेडिया विपणन क्षेत्र एवं दुग्ध संयंत्र खरगोन में साँची दुग्ध उत्पाद बटर कुकीज वितरण कार्य हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा इन्दौर संयंत्र से संचालित होकर साँची दुग्ध उत्पाद बटर, का वितरण इन्दौर दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र में (इन्दौर शहर छोड़कर) समस्त वितरण केन्द्रों तक पहुँचाने के लिए ई-निविदा में परिवहन दर रु. प्रतिलीटर/प्रतिकिलो स्वीकृत की गई है।
- 2) श्री/श्रीमती/कु./मेसर्स द्वारा ई-निविदा की शर्त अनुसार प्रतिभूति राशि पेटे एम.आर. नं. Bank राशि रुपये आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा किए गए हैं, एवं एम.आर. नं. Bank दिनांक राशि रु. (टेंडर राशि) दुग्ध संघ में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रु. जमा हुए हैं। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। साँची दुग्ध उत्पाद, बटर विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जावेगी।
- 3) आवेदक को ऑनलाईन राशि रु. रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- 4) सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रुपये 1.00 लाख नकद आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा। दुग्ध उत्पाद विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रु. 2.00 लाख होगी।
- 5) असफल निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि एम.पी. ई-टेंडर्स के नियमानुसार वापस की जावेगी।
- 6) परिवहन कार्य हेतु स्वयं की 01 रेफ्रिजरेटेड वाहन दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु 20°C से 40°C (क्षमता 200 क्रेट आवश्यकतानुसार) जिसके दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के स्टाम्प पत्र पर नोटिफाईड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार स्वयं का ही वाहन लगाना अनिवार्य होगा। वाहन मॉडल वर्ष 2020 अथवा उसके बाद का पंजीकृत होना चाहिए वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से करवाकर कार्यालय में जमा करना होगी।
- 7) सफल निविदाकार को रेफ्रिजरेटेड वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कार्य आवंटन उपरान्त 15 दिवस में स्वयं के वाहन की व्यवस्था करना होगी। ऐसा न होने की दशा में निविदाकार का कार्यादेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा। दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से कराना होगी।
- 8) वितरक सह परिवहनकर्ता के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेंगे :-

- A) वितरक सह परिवहनकर्ता को सम्पूर्ण दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र (इन्दौर शहर छोड़कर) में सभी वितरकों/रिटेलर/पार्लर/एजेन्सी/ की माँग पूर्ति हेतु स्वयं का वाहन भेजना आवश्यक होगा।
- B) वितरक सह परिवहनकर्ता को भरी एवं खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रतिदिन जितनी भरी क्रेटें प्रदाय होती है उतनी ही संख्या में खाली क्रेटें निर्धारित समय पर जमा करना होगी। अन्यथा बकाया खाली क्रेटों की राशि का वर्तमान क्रेट क्रय भाव के आधार पर देयकों से कटोत्रा किया जावेगा।
- C) वितरक सह परिवहनकर्ता को साँची दुग्ध उत्पाद बटर, कुकीज की वेरिएंट अनुसार माँग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर ई-मेल द्वारा प्रतिदिन मुख्य दुग्ध संयंत्र को देना होगी। माँग अनुसार अग्रिम राशि भी दुग्ध संघ के खाते में एडवांस जमा कराना अनिवार्य होगा, **अन्यथा दुग्ध उत्पाद प्रदाय नहीं किया जाएगा।**
- D) वितरक सह परिवहनकर्ता के पर्यवेक्षक/वाहन चालक, वाहनों में हो रहे दुग्ध उत्पाद बटर, कुकीज लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि दुग्ध उत्पाद हर तरह से अर्थात् गुणवत्ता, शीतलीकृत तापमान, लीकेज, वजन, क्रेट में निर्धारित संख्या पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि वितरक सह परिवहनकर्ता अपने पर्यवेक्षक के नाम मय फोटो I.D. प्रूफ के संघ में जमा करावेगा ताकि उनकी अनुपस्थिति का रिकार्ड संघ में रखा जा सके। पर्यवेक्षकों की अनुपस्थिति के विरुद्ध प्रबन्ध द्वारा निर्धारित पैनल्टी लगाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
- E) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध उत्पाद बटर, कुकीज विक्रय की माँग अनुसार राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अग्रिम दुग्ध संघ खाते में जमा करने के पश्चात् ही साँची दुग्ध उत्पाद प्रदाय किया जावेगा। राशि जमा नहीं होने पर दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना संभव नहीं होगा। यदि दुग्ध उत्पाद प्रदाय बाधित होता है तो वितरक सह परिवहनकर्ता की सेवा समाप्त की जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
- F) वितरक सह परिवहनकर्ता को **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम अकाउण्ट-पेयी रेखांकित पाँच चैक हस्ताक्षरयुक्त अग्रिम दुग्ध संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।
- G) सफल निविदाकार को दुग्ध संघ सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में साँची दुग्ध उत्पाद बटर, कुकीज विक्रय हेतु नवीन वितरक/रिटेलर नियुक्ति करने के लिए महाप्रबंधक (विपणन) को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- H) वितरक सह परिवहनकर्ता को साँची के समस्त उत्पाद एवं टेबल बटर वितरण हेतु समय-समय पर निर्धारित दर संरचना के अनुसार वितरक दर पर समस्त उत्पाद प्रदाय किया जावेगा।
- I) वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में प्रचलित वितरक/विक्रेताओं का मार्जिन देना होगा, जो समय-समय पर परिवर्तनशील होने पर वितरक सह-परिवहनकर्ता को मान्य करना होगा।
- J) इस ई-निविदा में चयनित वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा साँची दुग्ध उत्पाद वर्तमान में प्रचलित वितरक दर पर प्रदाय किया जावेगा। जिसमें वितरक एवं रिटेलर मार्जिन सम्मिलित है। निविदाकार द्वारा केवल मुख्य दुग्ध संयंत्र इन्दौर से दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र (इन्दौर शहर छोड़कर) विपणन क्षेत्र के लिये परिवहन दर (जी.एस.टी. अतिरिक्त) ऑनलाईन प्रतिलीटर में प्रस्तुत करना होगी। सफल वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन देयक (जी.एस.टी. अतिरिक्त) प्रतिमाह भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा। दुग्ध संघ से प्राप्त जी.एस.टी. राशि को नियमानुसार यदि प्रभावशील है, तो निर्धारित समयावधि में शासन को भुगतान करना होगा। जिससे दुग्ध संघ जी.एस.टी. राशि की छूट प्राप्त कर सकें। प्रति 03 माह में चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगी। यदि जी.एस.टी./अन्य कर शासन द्वारा अधिरोपित किया जाता हैं, तो वितरक सह परिवहनकर्ता से ब्याज एवं पेनल्टी सहित राशि वसूल की जावेगी।
- k) वितरक सह परिवहनकर्ता को अपने संपूर्ण रूट के ऐसे क्षेत्र जहां वर्तमान में साँची दुग्ध उत्पाद प्रदाय नहीं हो रहा है। वहां पर भी साँची दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना होगा।

- 9) यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता की दरों में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जायेगी। दर वृद्धि/कमी का आधार संघ की प्रचलित स्थापित प्रणाली से होगा।
- 10) ई-निविदा में प्राप्त परिवहन दर समान आने पर लॉटरी पद्धति से निविदाकार का चयन किया जावेगा।
- 11) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो वितरक सह परिवहनकर्ता का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। अन्यथा सम्पूर्ण हानि की वसूली उससे की जाएगी।
- 12) वितरक सह परिवहनकर्ता दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र में (इन्दौर शहर छोड़कर) अपने सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्हीं विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दुग्ध उत्पाद व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध उत्पाद प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि में शामिल नहीं होगा। प्रदायगी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार करना अनिवार्य होगी।
- 13) वितरक सह परिवहनकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची दुग्ध उत्पाद, बटर, के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन (2020 या उसके बाद के मॉडल) तापरोधी एवं रेफ्रीजरेटेड होकर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी करना होगी।
- 14) वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध उत्पाद प्राप्त करते समय उसकी जाँच-परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी वितरक सह-परिवहनकर्ता की रहेगी।
- 15) वितरक सह परिवहनकर्ता को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये 1,000/-** के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को केवल साँची दुग्ध उत्पाद वितरण/विक्रय हेतु आवंटित क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 03 वर्ष की अवधि हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक-एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
- 16) वितरक सह परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस वितरक सह परिवहनकर्ता (दुग्ध उत्पाद कुकीज, बटर) का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।
- 17) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा प्रतिदिन मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद मात्रा की राशि RTGS के माध्यम से नकद दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। बैंक अवकाश के दिनों में राशि ऑनलाईन दुग्ध संघ खाते में अग्रिम जमा करना होगी। राशि जमा नहीं करने पर दुग्ध उत्पाद प्रदाय नहीं किया जायेगा।
- 18) वितरक सह परिवहनकर्ता की नियुक्ति पश्चात् समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता को करना होगी।
- 19) निविदा प्रपत्र के साथ आपके विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।
- 20) वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रत्येक पार्लर पर जाकर दुग्ध उत्पाद बटर प्रदाय करना होगा।
- 21) वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रतिदिन एक दिवस पूर्व दोपहर 2:00 बजे तक ई-मेल के माध्यम से साँची दुग्ध उत्पाद की मांग प्रस्तुत करना होगी।
- 22) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
- 23) ई-निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

- 24) प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। मुख्य दुग्ध संयंत्र इन्दौर डाक से दुग्ध उत्पादों की चोरी के किसी भी तरह के प्रकरण में पकड़े गए पदार्थों की मूल्य राशि का 50 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
- 25) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र (इन्दौर शहर छोड़कर) के लिये दुग्ध उत्पाद विक्रय के लक्ष्य वार्षिक योजना एवं त्रयौहारों के आधार पर दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना द्वितीयपक्ष को अनिवार्य होगा। समय-समय पर उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों कि प्राप्ति आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही प्रथमपक्ष द्वारा की जाएगी, जिस हेतु द्वितीयपक्ष जवाबदेह होगा। प्रतिवर्ष दुग्ध उत्पाद विक्रय में 10 प्रतिशत की वृद्धि करना अनिवार्य होगा।
- 26) निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।
- 27) यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ, तो उसे मध्यस्थता (**Arbitrator**) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (**Arbitrator**) प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 28) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य में अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा।
- 29) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।
- 30) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर दुग्ध संघ द्वारा आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जाएगी तथा स्थिति की गंभीरता के देखते हुए कार्य आवंटन निरस्त करते हुए सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि जब्त कर निविदाकार को ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
- 31) रेफ्रीजरेटेड वाहनों में न्यूनतम 4 इंच पफ का इंसुलेशन होना अनिवार्य है। विशेषज्ञ समिति इसकी जाँच करेगी एवं संतोषजनक पाये जाने पर ही वाहन सेवा में मान्य किए जाएँगे। ऐसा न हो पर निविदा निरस्त कर प्रतिभूति जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
- 32) रेफ्रीजरेटेड वाहन का ए.सी. बंद पाये जाने पर परिवहन देयक की 10 प्रतिशत राशि का कटौती हर बार किया जाएगा।
- 33) अनुबंधित वाहन पर **G.P.S.** लगाया जाना अनिवार्य होगा, जिसका ट्रेकिंग नियंत्रण दुग्ध संघ को सौंपना होगा।
- 34) वाहनों की फिटनेस **R.T.O.** से सत्यापित कराके दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।
- 35) निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस.टी. अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।
- 36) साँची के समस्त उत्पाद एवं टेबल बटर लोडिंग के पूर्व निर्धारित तापमान आने पर ही डेयरी संयंत्र से उत्पाद लोड किये जावेंगे।

उपरोक्त शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश-हवास में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

मैं पिता/पति/पत्नी.....साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह परिवहनकर्ताअपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती..... को घोषित करता/ करती हूँ।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
.....

गवाह :

1 नाम :

पता :

आधार कार्ड नम्बर :

मोबाईल नम्बर :

2 नाम :

पता :

आधार कार्ड नम्बर :

मोबाईल नम्बर :

:: जमानतनामा ::

मैं जमानतदार सर्व आत्मज श्री
आयु मे है कि, कार्यालय प्रथम पक्ष एवं द्वितीय
पक्ष, पुत्र श्री आयु निवासी
..... के बीच आज दिनांकको वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु
अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके
लिये रुपये 25,00,000/- (अक्षरी रुपये पच्चीस लाख मात्र) तक के नुकसान की जवाबदारी
हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार स्वयं
प्रथम पक्ष को भुगतान करूँगा/करूँगी अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल संपत्ति से वसूल
करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर/बूथ अनुबंध की
पूर्ति के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक को लिख दिया है।

गवाह :

जमानतदार

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
पता	पता
मोबाईल नम्बर	मोबाईल नम्बर

:: शपथ पत्र ::

मैं आत्मज श्री

आयु निवासी —

शपथपूर्वक यह कथन करता हूँ कि :-

1. मैंने आज दिनांक को यह अनुबंध करार इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित इन्दौर से साँची दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता के माध्यम से किया है जिसकी समस्त सेवा शर्तें मुझे मान्य हैं।
2. यह कि यह शपथ पत्र में प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा यह शपथपत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

शपथग्रहिता.....

:: सत्यापन ::

मैं सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र के उपरोक्त चरण मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। सत्यापन आज दिनांक को में किया गया।

शपथग्रहिता.....